न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 11 / 2024 GCMS No.—2024/84

श्रीमती संज्या देवी पुत्री स्व. नाथूलाल यादव पत्नि श्री अर्जुनलाल यादव हाल निवासी ढाणी बिला वाली, चक मनोहरपुर देव का हरमाडा मनोहरपुर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
...अपीलांटस

बनाम

1. केसरी देवी पत्नि रामशरण जाति यादव निवासी केला का बास, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. बनारसी देवी पत्नि छिगन यादव जाति यादव निवासी केला का बास, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 03.01.2024 द्वारा तहसीलदार आंधी जिला जयपुर।

उपस्थितः–
1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 11.12.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, आंधी के निर्णय दिनांक 03.01.2024 जिससे नामान्तरकरण संख्या 158 ग्राम केला का बास, तहसील आंधी स्थित कृषि भूमि का नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के नाम खोले जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.01.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या–1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आंधी से मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम केला का बास, तहसील आंधी के मूल खातेदार अपीलांट के पिता नाथूलाल पुत्र पन्ना जाति अहीर थे। जिसका नामान्तकरण दिनांक 28.12.2001 को उसकी पत्नी भागली देवी के नाम तस्दीक किया गया। उस समय मृतक नाथू पुत्र पन्ना की पुत्री संज्या देवी भी जीवित थी अपीलांट के नाम नामान्तकरण तस्दीक नहीं होने के कारण अपीलांट द्वारा नामान्तकरण को खारिज करने बाबत एक अपील न्यायालय हाजा के यहा प्रस्तुत की गयी जिसमें

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

दिनांक 21.10.2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अपीलांट के पिता नाथूलाल के एकमात्र पुत्री संतान अपीलांट हुई एवं अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के पश्चात रेस्पा0 संख्या 3 ने अपीलांट की माता भागोली के अकेले के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जबकि अपीलांट भी मृतक नाथूलाल की प्रथम श्रेणी की वारिसान थी लेकिन तहसीलदार जमवारामगढ ने मृतक नाथूलाल के विधिक वारिसान की जांच किये ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के तहत मृतक नाथूलाल के विधिक वारिसान की एकमात्र पुत्री अपीलांट एवं मृतक की पत्नी भागोली के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक होना चाहिए था। अपीलांट द्वारा नियमित वाद भी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ में पेश किया गया है। अपीलांट की माता भागली देवी से रेस्पा0 संख्या 1 व 2 ने अपने हक में उपहार पत्र निष्पादित करवा लिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में तथाकथित नुमाईसी उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट मृतक नाथू की एक मात्र वारिस है एवं अपीलाधीन आराजीयात की 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी तथा अपीलांट की माता की मृत्यु भी दिनांक 20.06.2023 को हो चुकी है। जिसका हिस्सा भी अपीलांट में निहित हो चुका है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करनी चाहिए थी। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण प्रारम्भ से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक नाथूलाल की विधिक वारिस एवं प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्री को उसके हक व अधिकारों से महरूम करने के लिये मृतक नाथूलाल की पत्नी भागोली से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 150 तस्दीक कर दिया एवं जिसके पश्चात उपहार पत्र के आधार पर संख्या 158 तस्दीक करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आंधी द्वारा निर्णित नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 03.01.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. दो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि नामान्तरकरण संख्या 150 तस्दीक होने के पश्चात भागली देवी के द्वारा निष्पादित रजि. उपहार पत्र के आधार पर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तकरण भरा जाकर स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा नाथूलाल की पुत्री होने के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था। भागली देवी

द्वारा दिनांक 27.12.2022 द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के हक में अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में रजि0 उपहार पत्र तस्दीक किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 158 दिनांक 03.01.2024 को तस्दीक किया गया था। वर्तमान जमाबन्दी में अपीलाधीन आराजीयात के खातेदार काश्तकार रेस्पा0 संख्या 2 व 3 है एवं रजि0 उपहार पत्र के अस्तित्व में होने से अपीलांट की अपील मेन्टेनेबल ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रजि0 उपहार पत्र के आधार पर रेस्पा0 संख्या 1 व 2 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण संख्या 158 ग्राम केला का बास, तहसील आंधी के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तरकरण रजि. उपहार पत्र के आधार पर रेस्पा0 के पक्ष में भरा जाकर प्रस्तुत होने पर तहसीलदार आंधी द्वारा दिनांक 03.01.2024 को स्वीकार किया गया। अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में अपीलांट के द्वारा न्यायालय हाजा में पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 01/24 बउनवानी संज्या बनाम सरकार आदेश दिनांक 21.10.2024 द्वारा अपीलांट को स्व. नाथू की पुत्री मानते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 150 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार आंधी को रिमाण्ड किया गया है, इसलिए अपीलांट अपने हक अधिकार के संबंध में तहसीलदार आंधी को रिमाण्ड किये गये प्रकरण में चाराजोई करें। अपीलाधीन नामान्तकरण रजि0 उपहार पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे जाहिर हो कि अपीलांट ने रजि0 उपहार को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजि0 उपहार पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में क्या त्रुटि की है अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर